बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

पत्रांक-5/आ01-103/2014- 801 पटना, दिनांक- 3.10.17

श्री अशोक कुमार जायसवाल, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सेवानिवृत) को आर्थिक अपराध थाना काण्ड संख्या-40/2013 दिनांक-03.09.2013 के प्राथमिक अभियुक्त श्री अरविन्द कुमार, कनीय अभियंता (सम्प्रति बर्खास्त) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, छपरा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालनार्थ आदेश संख्या-5/आ04-106/2013-21 सह-पठित ज्ञापांक-22, दिनांक- 27.01.2014 द्वारा जांच संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जांच संचालन पदाधिकारी के रूप में श्री जायसवाल, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 एवं बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, पत्रांक-3/एम0-91-2011- 1893, दिनांक-14.06.2011 में निहित प्रावधानों का अनुसरण किये बिना जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

श्री जायसवाल, जांच संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार, बर्खास्त कनीय अभियंता के आर्थिक अपराध को गंभीरता से नहीं लिया गया तथा वित्तीय मामलों को छुपाने का प्रयास किया गया।

(2) मामले की सम्यक् समीक्षा की गई एवं श्री जायसवाल के विरूद्ध उक्त आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत विभागीय संकल्प सं0-733 दिनांक-07.09.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित किया गया।

(3) अपर विभागीय जांच आयुक्त सह-जांच संचालन पदाधिकारी, अपर सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक-396 दिनांक-10.08.2017 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोप को अप्रमाणित बताया गया। जांच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत जांच प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए श्री जायसवाल को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

(4) अत: श्री जायसवाल के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही से संबंधित विभागीय संकल्प सं0-733 दिनांक-07.09.2016 को रद्द करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/9/17

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव।

ज्ञापांक-5/आ01-103/2014- 801 पटना, दिनांक- 3.10.17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/17

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव।

ज्ञापांक-5/आ01-103/2014- 801 पटना, दिनांक- 3.10.17

प्रतिलिपि:- श्री के0के0 पाठक, अपर विभागीय जांच आयुक्त सह-जांच संचालन पदाधिकारी, अपर सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/श्री अशोक कुमार जायसवाल, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सेवानिवृत) पता-फ्लैट नं0-301, रामेश्वर अपार्टमेंट, मंडल कम्पाउन्ड, बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/17

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव।

ज्ञापांक-5/आ01-103/2014- 801 पटना, दिनांक- 3.10.17

E-mail

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/9/17

(शशिकांत तिवारी)
अपर सचिव।